कार्यालय, राँची नगर निगम, राँची।

(राजस्व शाखा)

कचहरी रोड, राँची, –834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक सं0............................ दिनांक.......................

आम सूचना

सभी तम्बाकू उत्पाद के विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण करने वाले व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 455 एवं उसकी अनुसूची 13 एवं 187 के अनुसार किसी भी परिसर में सभी तरह के तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद (सिगार, सिगरेट, बीड़ी, नसवार सहित) का विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण (किसी भी विधि द्वारा) बिना लाइसेन्स/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के नहीं किया जाना है।

यदि कोई व्यापारी/दुकानदार/व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुरुप दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सभी तरह के तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी/दुकानदार राँची नगर निगम से लाइसेन्स/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति प्राप्त करके ही तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कर सकता है।

नोट – **सभी तम्बाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को राँची नगर निगम द्वारा सूचना प्रकाशित करवाने के 15 दिनों के अंदर राँची नगर निगम के राजस्व शाखा से लाइसेन्स/ अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति लेने हेतु आवेदन किया जा सकता है तथा इस हेतु राँची नगर निगम के वेबसाइट www.ranchimunicipal.com से भी आवेदन किया जा सकता है। राँची नगर निगम द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत बिना लाइसेन्स/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के तम्बाकू उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।**

ह0/–

नगर आयुक्त,

राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक.....302.......... दिनांक 25/02/.........2021.

प्रतिलिपिः–

1. श्री गुरुदयाल सिंह, पी0ई0एस0, रांची नगर निगम,रांची को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की इसका प्रकाशन स्थानीय 03 दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेगें।
2. श्री राजेश कुमार, कमप्यूटर प्रोग्रामर को इस निदेश के साथ प्रेषित की राची नगर निगम के वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करेगें।

नगर आयुक्त,

राँची नगर निगम, राँची।